(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1623-तीन/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29-10-2009 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 93/2008-09 अपील

1– प्रकाश 2– राधेश्याम पुत्रगण भॅवरलाल

3– महिला रम्मो पत्नि स्व0 भॅवरलाल

निवासी ग्राम बगवाड़ा तहसील एंव जिला

श्योपुर कलॉ , मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

महिला उर्मिला पत्नि स्व0 रोशन

ग्राम बगवाड़ा तहसील एंव जिला

श्योपुर कलॉ , मध्य प्रदेश –– अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 5 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 93/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-2009 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण एंव अनावेदक ने ग्राम बगवाड़ा स्थित उनके भूमिस्वामी की भूमि सर्वे नंबर 212

रकबा 22 वीघा 3 विसवा एंव सर्वे नंबर 119 रकबा 11 वीघा 7 विसवा कुल रकबा 33 वीघा 10 विसवा के बटवारा किये जाने की मांग की, जिस पर तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 17/2006-07 अ 27 पंजीबद्व करके आदेश दिनांक 4-6-2007 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 9/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-09 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 4-6-07 निरस्त किया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 के अधीन पुनः बटवारा किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील कमांक 93/2008-09 प्रस्तुत की जो, अग्राह्य होने से आदेश दिनांक 29-10-2009 से निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर देखना यह है कि आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 9/2008-09 अपील में पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 28-2-09 के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की है जो ग्राह्य होकर गुणदोष पर सुनवाई योग्य है अथवा नहीं ? अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क0 9/08-09

अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-09 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है ऐसे आदेश के विरूद्ध केवल निगरानी ग्राह्य-योग्य होती है, अपील ग्राह्य नहीं की जा सकती। जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 93/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-2009 से अपील प्रचलन-योग्य होना न पाते हुये निरस्त की है। यदि मामले में आवेदकगण के हितों के विचार किया जाय, आवेदकगण के पास तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है और जो तथ्य वह अपर आयुक्त के समक्ष गुणदोषों के आधार पर विचार करते समय बताना चाहते हैं तहसील न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 93/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-2009 उचित पाये जान से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर